रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17102023-249474
CG-DL-E-17102023-249474

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 592] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 17, 2023/आश्विन 25, 1945
No. 592] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 17, 2023/ASVINA 25, 1945

वित्त मंत्रलाय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 2023

सा.का.नि. 745(अ).—केन्द्रीय सरकार, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2023 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 2, के उपनियम (1) के खंड (ख) में, "अधिनियम" शब्द से पहले "पहचान के विश्वसनीय और स्वतंत्र स्रोतों का प्रयोग करते हुए" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

3. मूल नियमों के नियम 3क के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"3क. समूहों द्वारा नीतियों का कार्यान्वयन – (1) प्रत्येक रिपोर्ट करने वाला अस्तित्व, जो समूह का भाग है, धन-शोधन और आतंक वित्तपोषण के विरुद्ध समूह-व्यापी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करेगा, जिसके अंतर्गत ग्राहक सम्यक् तत्परता और धन-शोधन और आतंक वित्तपोषण जोखिम प्रबंधन और ऐसे अन्य कार्यक्रमों, जिनमें गुप्त जानकारी रोकने के लिए रक्षोपाय सहित आदान-प्रदान की गई जानकारी की गोपनीयता और उपयोग पर पर्याप्त रक्षोपाय सम्मिलित हैं, के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित जानकारी साझा करने के लिए समूह-व्यापी नीतियां भी हैं ।

(2) समूहों से धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) के अध्याय 4 के उपबंधों के अधीन आक्षेपों के निर्वहन के प्रयोजन के लिए समूह-वार नीतियों को क्रियान्वित करने की अपेक्षा की जाती है ।" ।

4. मूल नियमों के नियम 8 में,-

(i) उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(2) रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व का प्रधान अधिकारी, यह समाधान होने पर कि संव्यवहार संदेहजनक है, लिखित या फैक्स द्वारा या इलैक्ट्रानिक मेल द्वारा निदेशक को नियम 3 के उपनियम (1) के खंड (घ) में निर्दिष्ट संव्यवहारों की बाबत तुरंत सूचना प्रस्तुत करेगा ।" ।

(ii) उपनियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(6) प्रत्येक रिपोर्ट करने वाला अस्तित्व, उसके निदेशक, अधिकारी और सभी कर्मचारी यह सुनिश्चित करेंगे कि नियम 3 में निर्दिष्ट अभिलेखों के अनुरक्षण के तथ्य और निदेशक को प्रस्तुत की जा रही सूचना को गुप्त रखा जाए:

परंतु इस नियम की कोई बात संव्यवहार और क्रियाकलापों, जो असामान्य प्रतीत होता है के किसी विश्लेषण, यदि ऐसा कोई विश्लेषण किया गया है, की उपनियम (3क) के अधीन सूचना साझा करने से नहीं रोकेगी ।" ।

5. मूल नियमों के नियम 9 में.-

(i) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(1) प्रत्येक रिपोर्ट करने वाला अस्तित्व, खाता आधारित संबंध प्रारंभ होने के समय या पचास हजार रुपए के समतुल्य या उससे अधिक की रकम के यदाकदा होने वाले संव्यवहार करते समय, चाहे वह एकल संव्यवहार के रूप में या बहुल संव्यवहार के रूप में संचालित किया जाता हो, जो किसी अंतरराष्ट्रीय धन अंतरण प्रचालन से संसक्त होना प्रतीत होता हो,-

(क) अपने मुवक्किलों की पहचान करेगा, पहचान के विश्वसनीय और स्वतंत्र स्रोतों का प्रयोग करके उनकी पहचान सत्यापित करेगा, कारबार संबंधों के प्रयोजन और आशयित प्रकृति के बारे में सूचना प्राप्त करेगा, जहां लागू हो;

(ख) उपभोक्ता के कारबार की प्रकृति और उसके स्वामित्व तथा नियंत्रण को समझने के लिए युक्तियुक्त कदम उठाएगा;

(ग) अवधारित करेगा कि क्या कोई ग्राहक हिताधिकारी स्वामी की ओर से कार्य कर रहा है, और हिताधिकारी स्वामी की पहचान करेगा तथा पहचान के विश्वसनीय और स्वतंत्र स्रोतों का प्रयोग करके हिताधिकारी स्वामी की पहचान को सत्यापित करने के लिए सही कदम उठाएगा:

परंतु जहां विनियामक का विचार है कि धन-शोधन और आतंक वित्तपोषण जोखिमों का प्रभावी रूप से प्रबंध किया गया है और जहां कारबार के सामान्य संचालन को बाधित नहीं करना आवश्यक है, विनियामक, रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व को संबंधों के स्थापन के पश्चात् युक्तियुक्त रूप से यथाशीघ्र व्यवहार्य सत्यापन को पूरा करने के लिए अनुज्ञा दे सकेगा:

परंतु यह और कि, जहां ग्राहक भारत में निगमित कंपनी की केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित अधिकारिता में निर्गमित या सूचीबद्ध निक्षेप प्राप्तियों या साधारण शेयरों को प्रतिश्रुत कर रहा है या उनका व्यौहार कर रहा है और ऐसे हिताधिकारी स्वामी की ओर से कार्य कर रहा है, जो ऐसी अधिकारिता का निवासी है ऐसे हिताधिकारी स्वामी का अवधारण, पहचान और सत्यापन ऐसी अधिकारिता के संनियमों के अनुसार की जाएगी और उपनियम (3) से उपनियम (9) की कोई बात ऐसे हिताधिकारी स्वामी की सम्यक् तत्परता के लिए लागू नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण.- इस परंतुक के प्रयोजनों के लिए "साधारण" शेयर पद से कंपनी में साधारण शेयर पूंजी में शेयर अभिप्रेत है और साधारण शेयर पूंजी का वही अर्थ होगा जो उसका कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 43 के स्पष्टीकरण में है ।" ।

(ii) उपनियम (2) के खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(क) रिपोर्ट करने वाला अस्तित्व, तृतीय पक्षकार से या केन्द्रीय केवाईसी अभिलेख रजिस्ट्री से तृतीय पक्षकार द्वारा कार्यान्वित ऐसी ग्राहक सम्यक् तत्परता का अभिलेख या सूचना तुरंत प्राप्त करेगा;";

(iii) उपनियम 8 के खंड (v) में "शेल्टर" शब्द के स्थान पर "व्यवस्थापक, संरक्षी , यदि कोई हो" शब्द रखे जाएंगे;

(iv) उपनियम 12 के खंड (iii) में "डाटा की पर्याप्तता प्राप्त की गई है ।" शब्दों के स्थान पर "डाटा की पर्याप्तता प्राप्त की गई है, इस प्रकार कि ग्राहक सम्यक् तत्परता के अधीन एकत्रित सूचना या डाटा अद्यतन रखे गए हैं और सुसंगत है, विशिष्टतया जहां उच्च जोखिम है।" शब्द रखे जाएंगे;

(v) उपनियम (14) में,-

(क) उपखंड (ik) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ख) मार्गदर्शक सिद्धांतों में किए जाने वाले प्रति उपाय सम्मिलित होंगे, जब ऐसे अंतरराष्ट्रीय या अंतर-सरकारी संगठन, जिसका भारत सदस्य है और जो केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत है, द्वारा ऐसा करने के लिए मांग की जाए ।" ।

(ख) खंड (iii) में, "ग्राहक सम्यक तत्परता कार्यक्रम" शब्दों के स्थान पर "धन-शोधन और आतंक वित्तपोषण तथा कारबार के आकार को ध्यान में रखते हुए ग्राहक सम्यक् तत्परता कार्यक्रम" शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. पी-12011/22/2023-ईएस सेल-डीओआर]

मनोज कुमार सिंह, निदेशक (मुख्यालय)

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में, सा.का.नि. सं. 444(अ), तारीख 1 जुलाई, 2005 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. सं. 652(अ), तारीख 04 सितंबर, 2023 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department Of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October, 2023

G.S.R. 745(E).—In exercise of the powers conferred by section 73 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005, namely: —

1. (1) These rules may be called the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Third Amendment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 2, in sub-rule (1), in clause (b), after the word "Act", the words "using reliable and independent sources of identification" shall be inserted.

3. In the principal rules, for rule 3A, the following rule shall be substituted, namely:-

"3A. Implementation of policies by groups.– (1) Every reporting entity, which is part of a group, shall implement group-wide programmes against money laundering and terror financing, including group-wide policies for sharing information required for the purposes of client due diligence and money laundering and terror finance risk management and such programmes shall include adequate safeguards on the confidentiality and use of information exchanged, including safeguards to prevent tipping-off.

(2) Groups are required to implement group-wide policies for the purpose of discharging obligations under the provisions of Chapter IV of the Prevention of Money Laundering Act, 2002. (15 of 2003).".

4. In the principal rule, in rule 8,-

(i) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(2) The principal officer of a reporting entity shall, on being satisfied that the transaction is suspicious, furnish the information promptly in writing by fax or by electronic mail to the Director in respect of transactions referred to in clause (D) of sub-rule (1) of rule 3.".

(ii) after sub-rule (5), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(6) Every reporting entity, its Directors, officers, and all employees shall ensure that the fact of maintenance of records referred to in rule 3 and furnishing of information to the Director is kept confidential.

Provided that nothing in this rule shall inhibit sharing of information under rule 3A of any analysis of transactions and activities which appear unusual, if any such analysis has been done.".

5. In the principal rule, in rule 9,-

(i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) Every reporting entity shall, at the time of commencement of an account-based relationship or while carrying out occasional transaction of an amount equal to or exceeding rupees fifty thousand, whether conducted as a single transaction or several transactions that appear to be connected, or any international money transfer operations, –

(a) identify its clients, verify their identity using reliable and independent sources of identification, obtain information on the purpose and intended nature of the business relationship, where applicable;

(b) take reasonable steps to understand the nature of the customer's business, and its ownership and control;

(c) determine whether a client is acting on behalf of a beneficial owner, and identify the beneficial owner and take all steps to verify the identity of the beneficial owner, using reliable and independent sources of identification:

Provided that where the Regulator is of the view that money laundering and terrorist financing risks are effectively managed and where this is essential not to interrupt the normal conduct of business, the Regulator may permit the reporting entity to complete the verification as soon as reasonably practicable following the establishment of the relationship:

Provided further that where a client is subscribing or dealing with depositary receipts or equity shares, issued or listed in jurisdictions notified by the Central Government, of a company incorporated in India, and it is acting on behalf of a beneficial owner who is a resident of such jurisdiction, the determination, identification and verification of such beneficial owner, shall be as per the norms of such jurisdiction and nothing in sub-rule (3) to sub-rule (9) shall be applicable for due-diligence of such beneficial owner.

Explanation.- For the purposes of this proviso, the expression "equity shares" means a share in the equity share capital of a company and equity share capital shall have the same meaning as assigned to it in the *Explanation* to section 43 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013).".

(ii) in sub-rule (2), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

"(a) the reporting entity immediately obtains from the third party or from the Central KYC Records Registry, the record or the information of such client due diligence carried out by the third party;";

(iii) in sub-rule (8), in clause (v), after the words "settlor", the words ", protector, if any" shall be inserted;

(iv) in sub-rule 12, in clause (iii), after the word "obtained", the words ", such that the information or data collected under client due diligence is kept up-to-date and relevant, particularly where there is high risk" shall be inserted;

(v) in sub-rule (14),-

(a) after sub-clause (ia), the following sub-clause shall be inserted, namely:-

"(ib) the guidelines shall include countermeasures to be undertaken when called upon to do so by any international or intergovernmental organisation of which India is a member and accepted by the Central Government.".

(b) in clause (iii), after the word "Programme", the words "shall have regard to the money laundering and terrorist financing risks and the size of the business and" shall be inserted.

[F. No. P-12011/22/2023-ES Cell-DOR]

MANOJ KUMAR SINGH, Director (Headquarter)

Note: The principal rules were published in Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 444 (E), dated the 1st July, 2005 and were last amended *vide* number G.S.R. 652(E), dated the 04th September, 2023

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2023.10.17 13:00:22 +05'30'